



राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान

नई दिल्ली-110067

प्रशा.स./पी/2.5.0/2736

23 दिसम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

संस्थान के दिनांक 28.12.2018 के कार्यालय आदेश सं.प्रशा.(पी)/2.5.0/3546 का संदर्भ लें जिसके द्वारा संस्थान में मौजूदा एपीएआर की व्यवस्था लागू की गई थी।

2. संस्थान के वैज्ञानिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विकास के लिए एक उपकरण के रूप में एपीएआर व्यवस्था का उपयोग करने के क्रम में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित व्यक्ति की एपीएआर रिपोर्ट वर्ष 2020-21 से, की एक प्रति मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है।

3. यदि कोई व्यक्ति किसी भी तथ्यात्मक अवलोकन के विरुद्ध मूल्यांकन के संबंध में विशेषताओं, कार्य आउटपुट आदि प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह उसे प्रस्तुत कर सकता/सकती है। हालांकि, रिपोर्टिंग तथा समीक्षा करने वाले प्राधिकारी के किसी भी व्यक्तिपरक मूल्यांकन के आधार पर अभिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभिवेदन हो, तो व्यक्ति द्वारा आपार रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर एक सीलबंद लिफाफे में आपार सेल को भेजा जा सकता है। यदि 15 दिनों की अवधि के भीतर कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि कर्मचारी के पास देने के लिए कोई अभिवेदन नहीं है तथा उसी रिपोर्ट को अंतिम मान लिया जाएगा।

4. यदि कोई अभिवेदन हो, तो प्रतिनिधि समिति द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी तथा उस पर उचित विचार करने के बाद आपार को अस्वीकार या स्वीकार तथा संशोधित किया जा सकता है। तत्पश्चात प्रतिनिधि समिति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए रखी जाएगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।

5. सक्षम प्राधिकारी का निर्णय और अंतिम ग्रेडिंग के बारे में संबंधित व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित व्यक्ति को आपार सेल द्वारा सूचित किया जाएगा।


यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ.डी.के.वशिष्ठ)

वरिष्ठ प्रबंधक

वितरण:-

1. सभी वैज्ञानिक/अधिकारी/कर्मचारी
2. सभी सूचना पट्ट
3. निदेशक सचिवालय- कृपया सूचना हेतु



NATIONAL INSTITUTE OF IMMUNOLOGY
NEW DELHI-110067

No. Admn/P/2.5.0/2786

23 December, 2021


OFFICE ORDER

23 DEC 2021

A reference is invited to the Institute's Office Order no. Admn(P)/2.5.0/3546 dated 28.12.2018, vide which the existing APAR mechanism was implemented in the Institute.

2. In order to use this mechanism as a tool for development of the Scientist/Officer/Employee, it has been decided with the approval of the Competent Authority to henceforth provide a copy of APAR report of the concerned individual from the year 2020-21 onwards.
3. In case any individual desires to represent against any factual observation with respect to assessment in terms of attributes, work output etc., made in the APAR, he/she may do the same. However, the representation/s on the basis of any subjective assessment of the Reporting and Reviewing Authority shall not be entertained. The representation/s, if any may be sent in a sealed envelope to the APAR cell within a period of 15 days from the date of receipt of copy of APAR report by the individual. In case no representation/s is received within a period of 15 days, it shall be deemed that an employee has no representation to make and the APAR report shall be treated as final.
4. Representation/s, if any, shall be examined objectively by the Representation Committee which after due consideration may reject or accept and modify the APAR, as the case may be and the recommendations of the Representation Committee shall thereafter be put up for approval of Competent Authority whose decision shall be final in this regard.
5. The decision of the Competent Authority and the final grading shall be communicated to the concerned individual within a period of 15 days of receipt of decision of the Competent Authority by the APAR cell.

This issues with the approval of the Competent Authority.


(Dr. D.K. Vashist)
Senior Manager

Distribution:-

- (i) All Scientists/Officers/employees
- (ii) All Notice Boards
- (iii) Director's Sectt.- for information please